10रु. न्यायालय फीस COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. न्यायालय फीस COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

Filing No:- MJC/8542/22

प्रकरण कमांक एम.जे.सी. .... / 2022

प्रस्तुती दिनांक : 11.10 .2022

CNR:- MP08010 45034 2022

श्रीमान बीसवें अपर जिला न्यायाधीश महोदय, इन्दौर के समक्ष

Case No:- MJC/739/22

धीरज पिता स्व. श्री ओमप्रकाश मोहनीया
आयु 42 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार
निवासी – 63 / 5, परदेशीपुरा,
इन्दौर (म.प्र.)

— प्रार्थी

विरूद्ध

1. **श्री दिपेश जैन पिता श्री राजेन्द्र कुमार जैन**
निवासी – 1, अरिहा एनक्लेव (खसरा कमांक 137 / 2 / 2, 137 / 2 / 1, 137 / 2 / 3, 138 / 2, 138 / 3, 138 / 4, 137 / 2 / 4, 138 / 1 एवं 138 / 5), ग्राम तेजपुर गढबडी, केशरबाग ब्रीज के पहले, इन्दौर (म.प्र.)

2. इन्दौर नगर पालिका निगम, इन्दौर
द्वारा आयुक्त महोदय,
इन्दौर नगर पालिका निगम, इन्दौर

3. पदेन आयुक्त महोदय,
इन्दौर नगर पालिका निगम, इन्दौर

4. **श्रीमान भवन अधिकारी महोदय,**
कार्यालय भवन अनुज्ञा शाखा झोन क 13
इंदौर नगर पालिका निगम, इंदौर
नगर पालिका निगम प्रांगण, जेल रोड,
इंदौर (म.प्र.)

— प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 307(5) म.प्र. नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत

प्रार्थी का आवेदन पत्र प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

(अविरत.......2)

धीरज मोहनिया

te of er or eeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	दिनांक 30.05.2024	

आवेदक की ओर से श्री योगेश जायसवाल अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

आवेदक द्वारा श्री योगेश जायसवाल अधिवक्ता।

अनावेदक क0 1 द्वारा श्री अरविंद शर्मा अधिवक्ता।

अनावेदक क0 2 से 4 द्वारा श्री प्रबल भार्गव अधिवक्ता।

आवेदक की ओर से शीघ्र सुनवाई आवेदन के साथ एक अन्य आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण प्रत्याहरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदक की ओर से अनावेदकगण के विरूद्ध वर्तमान विविध संपात्तिक प्रकरण अंतर्गत धारा 307(5) म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। इसी प्रक्रम पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का प्रतिसंहरण किये जाने का अनुरोध किया है।अनावेदकगण को प्रकरण प्रत्याहरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः आवेदक की ओर से निवेदित लिखित अनुरोध स्वीकार किया जाता है और वर्तमान प्रकरण उन्हें प्रतिसंहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। एतद द्वारा उक्त आवेदन निराकरण किया जाता है।

प्रकरण में नियत आगामी दिनांक 05.08.2024 निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेख विधिवत् संचित अभिलेखागार हो।

(आलोक कुमार मिश्रा)
बीसवें जिला न्यायाधीश इंदौर